न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –144/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
शिवला उर्फ सीयाराम पुत्र छोगाराम जाति राइका निवासी नागडी तहसील खींवसर जिला नागौर		1. घेवरराम पुत्र पावूराम 2. घापडराम पुत्र पावूराम 3. इसीया पुत्र पावूराम 4. सायरराम पुत्र बादरराम 5. वोदूराम पुत्र बादरराम 6. श्रीमति चम्पा पत्नि वादरराम 7. भंवराराम पुत्र नैनाराम 8. आदूराम पुत्र नैनाराम जाति राइका निवासी नागडी तहसील खींवसर जिला नागौर 9. तहसीलदार खींवसर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 8 की और से वकील श्री भागीरथ चौधरी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 14-06-18

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत तहसीलदार खींवसर के आदेश संख्या भू.अ./09/202 दिनांक 23.01.2009 से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.11.2017 को अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को प्रस्तुत की गई, उक्त प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा उक्त मूल पत्रावली इस न्यायालय को भिजवाई गई, जो प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

कलक्टर, नागौर

मयाद के बिन्दु पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने मयाद प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 541, 542, 543 व 544 वाके मौजा नागडी अपीलांट तथा रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि है। दिनांक 22.10.2017 को रेस्पोडेन्टस ने अपीलांट की तारबंदी को तोड दिया, तब अपीलांट ने पुलिस थाना खींवसर में रिपोर्ट दी। तफ्तीश में रेस्पोडेन्टस ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी, तब सर्वप्रथम अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई, इससे पहले अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं की थी।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री भागीरथ चौधरी ने अपनी बहस में कथन किया की रेस्पोडेन्टस ने 22.10.2017 से पहले कभी भी अपीलांटस के कब्जे काश्त में कभी भी हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं की थी। अपीलांट व उसके भाई शंकर ने कभी भी किसी बंटवाडा आवेदन पर अपनी सहमति नहीं दी थी, न तहसीलदार को पेश किये गये आवेदन को अपीलांट व शंकर को पढकर सुनाया गया। आज से लगभग आठ नौ साल पहले रेस्पोडेन्टस ने पेंशन का कहकर अपीलांट व शंकर से कई खाली कागजों पर अंगूठे करवाये थे। इन्ही कागजों पर बंटवाडे की कूटरचित लिखा पढी तैयार की गई। इस प्रकार धोखाधडी कर आवेदन तहसीलदार को पेश किया गया, जिसकी जानकारी अपीलांट व शंकर को नहीं होने दी। इस प्रकार अपील समय भीतर प्रस्तुत नहीं करने का समुचित व पर्याप्त कारण होने का कथन करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार फरमाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री भागीरथ चौधरी ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की उक्त भूमि खसरा नम्बर 541, 542, 543, 544 वाके मौजा नागड़ी की भूमि शुरू में पक्षकारान की पुश्तेनी भूमि जरूर थी जिसका पक्षकारान ने कई सालों पहले आपसी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा कर लिया व मौखिक बंटवाड़ा अनुसार ही अपने अपने बंट की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे व उसी बंट अनुसार पक्षकारान ने भौतिक विभाजन तहसीलदार के समक्ष सहमति से आवेदन पेश कर मौका रिपोर्ट मंगवाकर दिनांक 22.1.2009 को कर लिया, जिसके अनुसार अलग–अलग खातेदारियां भी दर्ज हो गई।

रेस्पोडेन्ट ने न तो अपीलान्ट की कोई तारबन्दी तोड़ी, अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध झूठा मुकदमा पुलिस थाना खींवसर में दर्ज करवाई जिसकी तफतीश रेस्पोडेन्ट ने नहीं की थी, जॉच अधिकारी खींवसर ने की थी, इसलिए अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी तफतीश में रेस्पोडेन्ट द्वारा देने के संबंध में तथ्य कल्पित व झूठे है। निर्णय की जानकारी अपीलान्ट व उसके स्वर्गीय भाई शंकर को शुरू से ही रही है। अलग–अलग खातेदारी इन्द्राज करवाने के पश्चात अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी व बंटसुदा भूमि पर सरकारी योजना के तहत ऋण हेतु पटवार हल्का से अपनी अलग दर्ज खातेदारी की खतौनी व नक्शा, आदि की नकल लेकर उक्त भूमि अपनी खातेदारी की होने का शपथ पत्र तैयार करवाकर उक्त रहननामा तहसीलदार/उप पंजीयक खींवसर के समक्ष दिनांक 25.02.2011 को पंजीबद्ध किया गया व बाद में उक्त भूमि दी नागौर सैण्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक के रहन का इन्द्राज जरिये नामान्तरकरण संख्या 1196 खतौनी में किया गया है। उक्त नामान्तरकरण व ऋण संबंधी समस्त दस्तावेजात जो उप पंजियक कार्यालय खींवसर में अपीलान्ट ने पंजीयन करवाये थे, जिनकी प्रमाणित प्रतियां भी जबाब के साथ न्यायालय हाजा के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की हुई है। जिससे यह साबित है कि उक्त सहमति से हुए बंटवाड़ा की जानकारी अपीलान्ट को शुरू से रही है व उक्त बंटवाड़ा सहमति से किया गया था, इसके उपरान्त भी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से मनगढ़ंत तथ्य दर्ज करते हुए सरासर विधि विरूद्ध अपील को मियाद में दर्शाने के लिए ऐसी झूठी कहानी बनाई गयी है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाना विधि सम्मत है।

रेस्पोडेन्ट ने न तो दिनांक 22.10.2017 से पहले दखल किया न ही उसके बाद न ही उक्त तारीख को दखल किया, क्योंकि उनके तो कैदीमी से बंटवाड़ा हो रखा है व सहमति से

कलेक्टर, नागौर

सन् 2009 में भौतिक विभाजन होकर रेकर्ड में अलग अलग दर्ज हो गयी थी इसलिए एक दूसरे के बंट की भूमि में दखल का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अब पूर्व में सहमति से हुए बंटवाड़े के विरूद्ध जाकर मनमर्जी से नये सिरे से बंटवाड़ा करवाने के लिए लोगों की सिखावट में आकर मिथ्या आधारों पर अपील व यह आवेदन पेश किया है।

यह गलत है कि आज से करीब 8–9 साल पहले रेस्पोडेन्ट ने पेशंन का कह कर अपीलान्ट व शंकर से कई खाली कागजों पर अगूंठे करवाये हो व इन्ही कागजों पर बंटवाड़ा की कूटरचित लिखापढ़ी तैयार की गयी हो इस प्रकार से धोखाधड़ी कर आवेदन तहसीलदार को पेश किया गया हो जिसकी जानकारी अपीलान्ट व शंकर को नहीं होने दी हो। अपीलान्ट को यह शुरू से भलीभांति जानकारी रही है कि मौके की स्थिति अनुसार पक्षकारान के मध्य भौतिक विभाजन भी सन् 2009 में अपीलान्ट व अन्य खातेदारी की सहमति से हो रखा है उक्त बंटवाड़ा फार्म पटवार हल्का द्वारा पक्षकारान के कथनानुसार व मौके पर बंट अनुसार तैयार किया जाकर एक जगह नहीं बल्कि नया बंटवाड़ा फार्म प्रार्थना पत्र अधीन धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम व नक्शा तरमीम व 100/– रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर व उनके चारों पृष्ठों पर अं.नि. व हस्ताक्षर जो देखने व पढ़ने मात्र से साबित है कि पक्षकारान ने बंटवाड़ा सहमति से किया है। उस समय न तो अपीलान्ट व उसका भाई वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने के अधिकारी थे न तहसीलदार द्वारा पेंशन दी जाती थी न ही इतने सभी कुटुम्ब के व्यक्तियों की मौजूदगी में कोई किसी के साथ पेंशन का कह कर धोखे से बंटवाड़ा करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। पेंशन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अलग–अलग से आवेदन पेश करना होता है सभी खातेदार एक साथ हस्ताक्षर व अ.नि. कर रहे है व तहसीलदार एवं पटवारी ने बाकायदा सभी को पुछ कर व सहमति होना जान कर बंटवाड़ा किया है तो वैसी सूरत में अपीलान्ट को पेंशन का कह कर बंटवाड़ा करवा लेने के तथ्य माने जाने योग्य नहीं होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट का आवेदन खारिज फरमाने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट/प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में 2013(3) डीएनजे (राज.) पेज 1321, 2012(2) डीएनजे (राज.) पेज 1082, 2011(2) डीएनजे (राज.) पेज 903 एवं 2012(1) डीएनजे (राज.) पेज 196 न्यायिक दृष्टांन्त पेश किये।

राज पैरोकार श्री कुन्दन सिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील रेस्पोडेन्ट श्री भागीरथ चौधरी द्वारा की गई बहस का समर्थक करते हुए अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांन्तों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट का कथन की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 541, 542, 543 व 544 वाके मौजा नागडी अपीलांट तथा रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि है। दिनांक 22.10.2017 को रेस्पोडेन्टस ने अपीलांट की तारबंदी को तोड दिया, तब अपीलांट ने पुलिस थाना खींवसर में रिपोर्ट दी। तफ्तीश में रेस्पोडेन्टस ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी, तब सर्वप्रथम अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई।

उक्त संबंध में ग्राम नागड़ी के वादग्रस्त खसरान खसरा नम्बर 541, 542, 543 व 544 की भूमि के बंटवाड़े के संबंध में 100/–रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 22.1.2009 को खातेदारान

द्वारा सहमति बंटवाड़ा लिखा गया है, जिसके चारो पृष्ठों पर अन्य खातेदारान के साथ–साथ प्रार्थी का भी अंगुष्ठ निशान किया हुआ है, जिसमें पहचान पटवारी नागड़ी की अंकित है, जिसे तहसीलदार खींवसर द्वारा शामिल मिसल किया गया है। तत्पश्चात पटवारी नागड़ी, एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2009 पर तहसीलदार खींवसर द्वारा आदेश कमांक–भू.अ. / 09 / 202 दिनांक 23.01.2009 को बंटवाड़ा स्वीकृत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि बंटवाड़ा पक्षकारान के मध्य विधिवत स्वीकृत किया गया है।

वकील अपीलान्ट का कथन कि दिनांक 22.10.2017 को रेस्पोडेन्टस ने अपीलांट की तारबंदी को तोड दिया, तब अपीलांट ने पुलिस थाना खींवसर में रिपोर्ट दी। तफ्तीश में रेस्पोडेन्टस ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी तब प्रथम बार जानकारी हुई। उक्त संबंध में रेस्पोडेन्ट ने अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को जानकारी देने से अप्रत्यक्ष रूप से इंकार किया है। इसके अतिरिक्त बंटवारा आदेश जैर अपील के अनुसार शंकर एवं प्रार्थी अपीलान्ट के खाते में खसरा नम्बर 542 में 14.05, खसरा नम्बर 543 में 7.04 एवं खसरा नम्बर 544 में 0.12 रकबा भूमि बताई गई है। वकील रेस्पोडेन्ट श्री भागीरथ चौधरी द्वारा प्रस्तुत रहननामा दिनांक 25.2.2011 के अनुसार अपीलांट व शंकर द्वारा उक्त बंटवारे में दशाये गये खसरान व रकबा की भूमि दी नागौर सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक लि खींवसर को ऋण पेटे रहन रखी गई उक्त रहननामा पर प्रार्थी व शंकर के अगुंष्ठ निशान है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को 25.2.2011 को उक्त बंटवारा आदेश जैर अपील की जानकारी रही है। अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की जानकारी दिनांक 22.10.2017 को अपीलान्ट की तारबन्दी तोड़ देने पर पुलिस थाना खींवसर में रिपोर्ट दिये जाने पर तफतीश में रेस्पोडेन्ट द्वारा दिये जाने पर होने का कथन विश्वसनीय नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर नहीं होने एवं मयाद के बिन्दु पर अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाया जावे एवं निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर